न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 74 / 2025

ऑनलाईन नम्बर :– 2025 / 136

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र चान्दमल छीपा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शांतादेवी (शांताबेन) पत्नि चान्दमल छीपा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिए शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिशचन्द टेलर – वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26/5/2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के पिता एवं पति चान्दमल पिता काशीराम छीपा के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 741 रकबा 0.20 है0, 743 रकबा 0.30 है0, 959 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.71 है0 भूमि स्थित है।
2. उक्त आराजियात के खातेदार व वादीगण के पिता एवं पति चान्दमल पिता काशीराम जी छीपा की मृत्यु हो गई और उनके प्रथम श्रेणी के वारिस में पांच लड़किया क्रमश प्रेमदेवी, मायादेवी, टीनादेवी, भगवतीदेवी, जागृतिदेवी व दो लड़के वादी नरेन्द्रकुमार, व गोपाललाल एवं एक बेवा शांतादेवी (शांताबेन) है। उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरणकरण दिनांक 15.01.2007 को खोला गया उसमें बाकी वारीसानों का नाम तो सही दर्ज किया गया किन्तु वादी संख्या 1 नरेन्द्र कुमार के बजाय छोटुलाल व उनकी पत्नी वादी संख्या 2 शांतादेवी (शांताबेन) के बजाय सल्लु दर्ज कर दिया गया है जो पूर्ण रूप से गलत हैं। और वादीगण के मुकाबले उक्त विरासत का नामान्तरणकरण शुरू से ही अवैध होकर शुन्य है। जिसको पुनः दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है।
3. वादी संख्या 1 नरेन्द्र कुमार के बजाय छोटुलाल, व उनकी पत्नी वादी संख्या 2 शांतादेवी (शांताबेन) के बजाय सल्लु गलत रूप से दर्ज किये जाने से रोटेशन की जमाबंदियों में वादीगण का नाम छोटुलाल व सल्लु ही दर्ज चला आ रहा हैं जबकि वादीगण के सारे पहचान संबंधी मतदान सबधी, सभी राजकीय दस्तावेजों में नाम नरेन्द्रकुमार पिता चान्दमल छीपा व शातादेवी (शांताबेन) पत्नी चान्दमल छीपा ही अकित है, किन्तु राजस्व जमाबंदियों में गलत नाम दर्ज हो जाने से राजकीय सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है. और भूमियों को विक्रय, रहन, बय, बक्षीश या अन्य

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

किसी भी तरीके से हस्तान्तरित करने में भी भारी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा हैं। और मृतक खातेदार चान्दमल छीपा की विरासत में या उनके परिवार में छोटुलाल, सल्लु नाम का कोई व्यक्ति या महिला नहीं हैं। जिससे उक्त वर्णित राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से दर्ज खातेदार के नाम छोदुलाल पुत्र चान्दमल छीपा के बजाय नरेन्द्र कुमार पुत्र चान्दमल छीपा व सल्लु बेवा चान्दमल छीपा के बजाय शांतादेवी (शांताबेन) बेवा चान्दमल छीपा सा.देह के नाम पर दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया हैं, और तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में भी इन्द्राज दुरुस्ती करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

4. अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादग्रस्त आराजियात संख्या 741, 743, 959 कुल किता 3 कुल रकबा 0.71 है0 भूमि में दर्ज वादीगण का नाम छोटुलाल पुत्र चान्दमल छीपा सा.देह के बजाय नरेन्द्रकुमार पुत्र चान्दमल छीपा सा.देह व सल्लु बेवा चान्दमल छीपा सा.देह के बजाय शांतादेवी (शांताबेन) बेवा चान्दमल छीपा सा.देह दर्ज करने की घोषणात्मक डिकी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड की इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।
5. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 02.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही हुए एवं प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।
6. प्रकरण में तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांकः–राजस्व/2026/300 दिनांक 06.02.2026 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अकंन किया कि :–
   1. ग्राम मोखुन्दा के जमाबन्दी खाता संख्या 142 किता 3 कुल रकबा 0.71 है0 गोपाललाल, छोटुलाल पुत्र चान्दमल, जागृतिदेवी, टीनादेवी, प्रेमदेवी, भगवतीदेवी, मायादेवी पुत्रीयां चान्दमल, सल्लु पत्नि चान्दमल छीपा निवासी मोखुन्दा के नाम दर्ज रेकार्ड है, उक्त खातेदारों में छोटुलाल का सही नाम नरेन्द्रकुमार व सल्लु का ही नाम शान्तादेवी (शांताबेन) सही दर्ज करवाना चाहते है।
   2. छोटुलाल व नरेन्द्रकुमार पिता चान्दमल तथा सल्लू व शान्तादेवी (शांताबेन) पत्नि चान्दमल एक ही है छोटुलाल के अन्य रिकॉर्ड आधारकार्ड (411133340922), जनआधार कार्ड (51154541034) ब.क्षे.ग्रा.बै.शाखा मोखुन्दा के खाता संख्या (40100100003768) में नरेन्द्रकुमार पिता चान्दमल दर्ज है। शान्तादेवी (शांताबेन) के आधार कार्ड (553953526104) जनआधार कार्ड (5115454134) ब.क्षे.ग्रा.बै.शाखा मोखुन्दा के खाता संख्या (40100000001351) में सल्लू का सही नाम शान्तादेवी (शांताबेन) दर्ज है।
   3. वाद में अंकित भूमि आराजी ग्राम मोखुन्दा के आराजी संख्या 741 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 743 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 959 रकबा 0.21 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.71 है0 भूमि के मौके पर वादी व सहखातेदारो का कब्जा है।
   4. नरेन्द्रकुमार को छोटुलाल व नरेन्द्रकुमार दोनो नाम से जाना जाता है व शान्तादेवी को सल्लू व शान्तादेवी (शान्ताबेन) दोनो नामों से जाना जाता है।
7. प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट की कलम संख्या में अंकन अनुसार नरेन्द्रकुमार को छोटुलाल व नरेन्द्रकुमार दोनो नाम से जाना जाता है व शान्तादेवी को सल्लू व शान्तादेवी (शान्ताबेन) दोनो नामों से जाना जाता है। छोटुलाल व नरेन्द्रकुमार पिता चान्दमल तथा सल्लू व शान्तादेवी (शांताबेन) पत्नि चान्दमल एक ही है छोटुलाल के अन्य रिकॉर्ड आधारकार्ड (411133340922), जनआधार कार्ड (51154541034) ब.क्षे.ग्रा.बै.शाखा मोखुन्दा के खाता संख्या (40100100003768) में नरेन्द्रकुमार पिता चान्दमल दर्ज है। शान्तादेवी (शांताबेन) के आधार कार्ड (553953526104) जनआधार कार्ड (5115454134) ब.क्षे.ग्रा.बै.शाखा मोखुन्दा के खाता संख्या (40100000001351) में सल्लू का सही नाम शान्तादेवी (शांताबेन) दर्ज है। पत्रावली में ग्राम पंचायत मोखुन्दा का प्रमाण में संलग्न है जिसमें अंकन है कि नरेन्द्रकुमार पिता चान्दमल टेलर उर्फ छोटुलाल पिता चान्दमल टेलर दोनो एक ही व्यक्ति है मूल निवास ग्राम पंचायत मोखुन्दा के है वार्ड संख्या 9 में पुश्तैनी मकान बना हुआ है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी में वादीगण के नाम पर प्रतिवादी संख्या 2 से लिए गए रहन का इन्द्राज है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से लिए गए ऋण के रहन के इन्द्राज को वादीगण द्वारा ऋण की पूर्ण अदायगी तक यथावत रखते हुए वादपत्र स्वीकार कर वादीगण के नाम में संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादग्रस्त आराजियात संख्या 741, 743, 959 कुल किता 3 कुल रकबा 0.71 है0 भूमि में दर्ज वादीगण का नाम छोटुलाल पुत्र चान्दमल छीपा सा.देह के बजाय नरेन्द्रकुमार पुत्र चान्दमल छीपा सा.देह व सल्लु बेवा चान्दमल छीपा सा.देह के बजाय शांतादेवी (शांताबेन) बेवा चान्दमल छीपा सा.देह करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा से ऋण लिया गया है जिसके रहन का इन्द्राज जमाबन्दी में है। वादीगण के नाम में परिवर्तन से उनकी प्रतिवादी संख्या 2 के प्रति ऋणदायित्व ऋण अदायगी पूर्ण करने तक अप्रभावित रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 को वादीगण के नाम में हुए परिवर्तन के अनुरूप रहन से जुड़े दस्तावेजो में यदि आवश्यक हो तो यथोचित परिवर्तन करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर व भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/5/2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(उ.ख.अ.) रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा पीठासीन

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 74/2025

ऑनलाईन नम्बर :– 2025/136

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र चान्दमल छीपा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शांतादेवी (शांताबेन) पत्नि चान्दमल छीपा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिए शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 26/5/2026

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादग्रस्त आराजियात संख्या 741, 743, 959 कुल किता 3 कुल रकबा 0.71 है0 भूमि में दर्ज वादीगण का नाम छोटुलाल पुत्र चान्दमल छीपा सा.देह के बजाय नरेन्द्रकुमार पुत्र चान्दमल छीपा सा.देह व सल्लु बेवा चान्दमल छीपा सा.देह के बजाय शांतादेवी (शांताबेन) बेवा चान्दमल छीपा सा.देह करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा से ऋण लिया गया है जिसके रहन का इन्द्राज जमाबन्दी में है। वादीगण के नाम में परिवर्तन से उनकी प्रतिवादी संख्या 2 के प्रति ऋणदायित्व ऋण अदायगी पूर्ण करने तक अप्रभावित रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 को वादीगण के नाम में हुए परिवर्तन के अनुरूप रहन से जुड़े दस्तावेजो में यदि आवश्यक हो तो यथोचित परिवर्तन करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर व भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिकी आज दिनांक 26/5/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा